संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-09-2021**

आज दिनांक 05.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अंबरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 278 / 2021 धारा 376 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता अंगद निषाद पुत्र गोपाल निवासी परतिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा पिछले 01 साल से वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की जा रही थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 04.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 05.09.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 410 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्त नाम पता 1 –मो0 आलम पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी औघड़ मोहल्ला कस्बा बखिरा 2- मुजीब पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी रसूलाबाद लेड़ुआ महुआ 3- बैजनाथ गुप्ता पुत्र स्व0 रामबचन गुप्ता निवासी मंगल बाजार कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 210 रुपये मालफड़ व 200 रुपये जामातलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 279 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः का0 रोहित यादव, का0 आदित्य सिंह, का0 मनीष कुमार यादव, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 राजू राम।

संतकबीरनगर पुलिस

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता राधेश्याम पुत्र रामसमुझ निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 285 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- का0 गणेश प्रसाद, का0 नीतीश कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता प्रदीप कुमार पुत्र चिंतामणि निवासी बढ़ैयापुरवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 261 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी हरिहरपुर उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>1490</u> को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत रिपिन से इवेन्ट संख्या 05398 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुँचकर घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 सुदामा प्रसाद, म0आ0 मानवी सिंह, म0आ0 पूजा गौड़, हो0चा0 सुनील अग्रहरि।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 96 वाहनो से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 96 वाहनो से 71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।